बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक:278 /गोपनीय/बिविवि/महा.स्त.अंक/2018 भोपाल, दिनांक: 16-4 .18

//अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंद्ध समस्त महाविद्यालय ।

विषयः सेमेस्टर पद्धति(सम्सेमेस्टर) स्नातक द्वितीय,(ए.टी.के.टी.),चतुर्थ,षष्ठम तथा स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर, वर्ष 2017-18 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यॉकन, परियोजना/प्रोजेक्ट/इर्न्टनशिप एवं मौखिकी परीक्षाऐं आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत् राज्य शासन के द्वारा घोषित अकादमिक कैलेण्डर के पालनार्थ सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत सत्र 2017-18 स्नातक द्वितीय,(ए.टी.के.टी) चतुर्थ,षष्ठम तथा स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएँ **दिनांक 10.05.2018** तक आयोजित की जाना निर्धारित किया गया हैं । कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाऐं आयोजित कर अंक प्रविष्ठि विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट **www.bubhopal.ac.in** पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें । प्रायोगिक परीक्षाँक पर्ण/प्रतिपर्ण **(foil/counter foil)** निर्धारित प्रपत्र में आंतरिक परीक्षांक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें, इन प्रविष्ठियों के अभाव में अंक स्वीकार्य नहीं होंगे ।

(1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएं एक साथ सम्पन्न की जानी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र सख्या 120(एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये । ।

(2) प्रायोगिक परीक्षा उपरात विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के मानदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से सलंग्नक प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।

(3) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी के प्राप्तांक विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में श्रेणीवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें ।

(4) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल कमांक की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।

(5) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि वे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों में ही प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति **(Hard Copy)** भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।

(6) आफ-लाईन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यॉकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अकों की कागज प्रति **(Hard Copy)** भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।

(7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरांत नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देयक के साथ प्रस्तुत किया जाने पर ही विश्वविद्यालय

द्वारा सत्यापन उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी । बिना नियुक्ति पत्र देयक स्वीकार्य नहीं होंगे ।

अनुरोध है कि प्राचार्य/विभागाध्यक्ष (बी.बी.ए.षष्ठम छोड़कर) स्नातक षष्ठम एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर परियोजना/प्रोजेक्ट/इर्न्टनशिप की मौखिकी परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक से संपन्न कराए एवं जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है, उन विषय की परियोजना/प्रोजेक्ट की मौखिकी परीक्षा हेतु महाविद्यालय स्तर पर विषय विशेषज्ञ बाह्य परीक्षक नियुक्त कर मौखिकी परीक्षा संपन्न करायेगें जिसकी लिखित रूप में सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे ।

विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरांत नियुक्ति पत्र की छाया प्रति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर देयक के साथ प्रस्तुत किया जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात् ही भुगतान की प्रकिया सुनिश्चित की जावेगी । बिना नियुक्ति पत्र मान्य नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय,भोपाल के पत्र कमांक 575/09 सी.सी. /अड़तीस,भोपाल दिनांक 27.08.09 के तारतम्य विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना कमांक 2734-35/अकादमी/पाठ्यक्रम/अ-1/09 दिनांक 7.10.09 का पालन सुनिशिचत किया जावे जिसके अनुसार यदि विद्यार्थी किसी सत्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है और प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णाक प्राप्त कर लेता है तो उसे अगली परीक्षा में उस प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य देने से छूट प्रदान की जाएगी । इस प्रकार विद्यार्थी द्वारा प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य के अंक अगली परीक्षा में पूर्वांक के रूप मे प्रविष्ठ किये जायेंगे

आपके महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय अंक - आंतरिक मूल्यॉंकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमांक सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जावें । उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रविष्ठि **(upload)** किये जाने के साथ-साथ समस्त प्रविष्ठ किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति **(Hard copy)** में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में यथासंभव जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (तीन प्रतियो में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है ।

महाविद्यालयस्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यॉंकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों की सूची की कागज प्रति **(hard copy)** आवश्यक रूप से **दिनांक 15.05.2018** तक गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांकः 279 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2018 भोपाल, दिनांकः 16-5.2018

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फारवर्ड करें । निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति **(Hard copy)** आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावें ।
6. मान.आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

उप-कुलसचिव (गोपनीय), 16-05-18
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल